The Sameeksha (समीक्षा) Global: A Multidisciplinary Journal in Hindi
Vol. 3, Issue 2 - 2019

।। श्री गणेशाय नमः।।

विधिक सहायता का प्रावधान

शशिकान्त तिवारी*

न्याय की बराबरी अथवा समता को सुनिश्चित करने के लिये केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि विधि धनी और निर्धन सभी के साथ सम बर्ताव करे, अपितु यह भी आवश्यक है कि निर्धन इस स्थिति में हो कि अपने अधिकारों को लागू करा सके और जब किसी दायित्व के लिये उनके विरूद्ध वाद लाया जाता है तो समुचित और पर्याप्त प्रतिरक्षा कर सके, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो विधि अपनी समता के बावजूद भी निर्धनों के विरूद्ध विभेदात्मक हो जायेगी। इससे निर्धनों को विधिक सहायता का प्रश्न अस्तित्व में आता है। विधिक सहायता का अर्थ सीमित साधनों वाले व्यक्तियों को मुफ्त अथवा नाम मात्र की फीस पर विधिक सलाह और सिविल और दाण्डिक मामलों में विधिक सहायता देना है। इसका मूलभूत उद्देश्य किसी मनुष्य नारी अथवा बच्चे को केवल इसलिये कि वह निर्धन है, विधि की संरक्षा के इंकार किये जाने को असम्भव बना देता है।

विधि की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान है, तथा सभी को समान रूप से न्याय पाने का अधिकार है। अतः सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध कराने के आशय की पूर्ति के लिये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-ए में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, जो कि यह उपबंधित करता है कि "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तन्त्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिये कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाये, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

इस प्रकार से हमारे संविधान के अनुच्छेद 39-ए में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है जिससे कि कोई भी नागरिक किसी आर्थिक या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण न्याय पाने के अपने

*असिस्टेन्ट प्रोफेसर, विधि विभाग, ब्रम्हानन्द कालेज, कानपुर।
Correspondence E-mail Id: editor@eurekajournals.com

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-401X**

मूलभूत अधिकार से वंचित न रह जाये और यह पूर्णतया न्याय संगत भी है, क्योंकि आज भी हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या निर्धनता की स्थिति में जीवन यापन कर रही है। ऐसे में उनसे कैसे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये न्यायालय तक पहुँचने में समर्थ हो पायेगी। अतः जनता के ऐसे वर्ग तक न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कार्य या दायित्व संविधान के द्वारा राज्य को सौंपा गया है।

हमारे देश की न्यायपालिका जन साधारण के विश्वास का अटूट केन्द्र है, जब भी कोई व्यक्ति अन्याय अथवा अपराध का शिकार होता है तो वह बड़ी आशा व अपेक्षा के साथ न्यायपालिका की ओर देखता है कि उसके अधिकारों व हितों की रक्षा होगी तथा न्याय होगा तथा ऐसा होता भी है और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान समाज के कमजोर वर्ग के हाथ में एक ऐसा उपकरण है, जिसके माध्यम से वह न्याय की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकता है।

हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया गया है तथा प्रस्तावना की इसी भावना को संविधान के अनुच्छेद-38 में स्थान दिया गया है, जो कि यह प्रावधान करता है कि:-

राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

नन्दिनी सुन्दर बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के वाद में भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि:- संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की गारण्टी प्रदान की गयी है। संविधान के इस वचन से विमुख नहीं हुआ जा सकता है।

संविधान की इसी वचनबद्धता को पूर्ण करने के उद्देश्य से हमारे संविधान का अनुच्छेद-14 समता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है जो कि यह उपबन्धित करता है कि:- 'राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

विधि शासन में विधि ही सर्वोच्च होती है। विधि से ऊपर कोई नहीं होता। मनुष्य-मनुष्य में कोई अन्तर नहीं किया जाता। जाति, धर्म, वंश, लिंग आदि भेदभाव का कारण नही होते। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। यही समता के सिद्धान्त का मूल तत्व भी है।

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-401X**

निःशुल्क विधिक सहायता को विधि शासन का एक आवश्यक अंग माना गया है, यदि निर्धन या असहाय जनता, गरीबी या अन्य किसी कारण से अपने अधिकारों का प्रवर्तन नहीं कर पाती है तो न्याय की प्राप्ति के लिये वे विधि या न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने के स्थान पर वे अपने विवादों के समाधान के लिये कोई अनुचित मार्ग या साधन अपना सकते हैं, जो कि विधि के शासन के लिये उचित नहीं है तथा इससे अराजकता उत्पन्न होने का भी भय है। अतः समाज के निर्धन व कमजोर व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान किया जाना विधि के शासन के संरक्षण के लिये आवश्यक है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता व सिविल प्रक्रिया संहिता में विधिक सहायता

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-304 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान करती है, इस धारा की उपधारा (1) यह प्रावधान करती है कि - जहाँ सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है, और जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिये पर्याप्त साधन नहीं है, वहाँ न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिये राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करायेगा।

उपधारा (2) यह प्रावधान करती है कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय ऐसे प्लीडरों के चयन, उनको दी जाने वाली सुविधाओं तथा संदेय फीसों के बारे में नियम निर्मित कर सकेगा।

उपधारा (3) के अन्तर्गत यह उपबंध किया गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है, कि उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, उपधारा (1) और (2) के उपबंध राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

इसी प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 33 निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद के सम्बन्ध में उपबन्ध करता है।

आदेश 33 का नियम 18-निर्धन व्यक्तियों के लिये मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति के विषय में प्रावधान करता है कि केन्द्रीय या राज्य सरकार उन व्यक्तियों के लिये जिन्हें निर्धन व्यक्तियों के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा दी गयी है, मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये ऐसे अनुपूरक उपबन्ध बना सकेगी जो वह ठीक समझे।

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved. ISSN: 2581-401X

सिविल प्रक्रिय संहिता का आदेश 44 निर्धन व्यक्तियों द्वार अपीलों के सम्बन्ध में प्रावधान करता है:-

अपील करने का हकदार कोई भी व्यक्ति, जो अपील के ज्ञापन के लिये अपेक्षित फीस देने में असमर्थ है, अपील के ज्ञापन के साथ आवेदन उपस्थित कर सकेगा और सभी बातों में जिनके अन्तर्गत ऐसे आवेदन को उपस्थित करना भी है, उन उपबन्धों के, जो निर्धन व्यक्तियों द्वारा वादों के सम्बन्ध में है, वहाँ तक अधीन रहते हुये जहाँ तक कि ऐसे उपबन्ध लागू करने योग्य है, निर्धन व्यक्तियों के रूप में अपील करने के लिये अनुज्ञात किया जा सकेगा।

विधिक सहायता प्रदान करने हेतु मानदण्ड

सभी व्यक्तियों को समान न्याय का अवसर प्रदान करने हेतु व अनुच्छेद 39'क' को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य समाज के निर्धन तथा वंचित वर्ग की निःशुल्क विधिक सहायता उत्पन्न कराना है, ताकि कोई व्यक्ति आर्थिक या अन्य किसी अयोग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख करती है जो विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं; ये निम्न हैं:-

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य।
2. संविधान के अनुच्छेद-23 के अन्तर्गत निर्देशित मानक दुव्र्यापार अथवा बेगार से पीड़ित व्यक्ति।
3. कोई स्त्री अथवा बालक।
4. मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा निःशक्त है।
5. लोक उपद्रव, जातिगत हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प, औद्योगिक उपद्रव से पीड़ित व्यक्ति।
6. औद्योगिक कर्मकार।
7. अभिरक्षा में होने वाले व्यक्ति, जिनमें निम्न भी सम्मिलित है:-
    - अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा-2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में।
    - किशोर न्याय (बालकें की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत किशोर गृह की अभिरक्षा।
    - मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा-2 के खण्ड (छ) के

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-401X**

अन्तर्गत मानसिक चिकित्सालय अथवा मानसिक नर्सिंग होम की अभिरक्षा।

8. ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय:-

- 9000 रूपये से कम हो, जब मामला उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालय में चल रहा हो।
- 12000/- रूपये से कम हो जब मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा हो।

सन्दर्भ

1. विधिशास्त्र एवं विधिक सिद्धान्त-डा0 वी0 एन0 मणि त्रिपाठी।
2. भारत का संविधान-डा0 बी0 एल0 बाबेल।
3. भारत का संविधान-डा0 जे0 एन0 पाण्डेय।
4. वृत्तिक आचार, बार-बेच सम्बन्ध एवं न्यायालय अवमानना विधि-डा0 अनुपमा उज्वल।

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-401X**